



राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
फोन नं. 0141-2708824, 2256670

क्रमांक:- परीक्षा- III-A/R.E/2025/ 195

दिनांक 8.4.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र भरने संबंधी दिशा-निर्देश

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राजस्थान विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा-2025 उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र निम्नानुसार भरे जायेंगे:-

1. समस्त स्नातक सेमेस्टर (NEP 2020) स्नातक (वार्षिक), स्नातकोत्तर तथा व्यावसायिक सेमेस्टर एवं वार्षिक पद्धति आधारित परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन-पत्र वेबसाइट www.univraj.org पर **Revaluation Portal** तथा www.erp.univraj.org के माध्यम से भरे जायेंगे।
2. उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थी को स्वयं की फोटो आई.डी. व परीक्षा प्रवेश-पत्र की प्रति पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य हैं।
3. शुल्क:- सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु निर्धारित रुपये 90/- प्रति उत्तरपुस्तिका जो चालान पर अंकित होगा।
4. अन्तिम तिथि:- विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिवस तक ही उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। इसके पश्चात् संबंधित वेबसाइट स्वतः बन्द हो जायेगी।
5. आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया:- परीक्षार्थियों को निर्धारित परीक्षा शुल्क **Online Gateway** माध्यम से जमा होगा। शुल्क एवं आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-
(अ) सर्वप्रथम छात्र वेबसाइट www.univraj.org पर **Visit** कर अपनी कक्षा से संबंधित ऑनलाईन आवेदन पत्र मुख्य परीक्षा के अनुक्रमांक से भरेंगे।
(ब) परीक्षार्थी निर्धारित शुल्क **Online Gateway** क्रेडिट, डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवा सकते हैं, तत्पश्चात् आवेदन पत्र का दो प्रतियों में प्रिंट प्राप्त कर ले। आवेदन फार्म की दोनो प्रतियां एवं शुल्क जमा की रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।
(स) एक बार शुल्क जमा होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में शुल्क वापस नहीं होगा।

नोट:- सूचित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पश्चात् परीक्षार्थी आवेदन पत्र की हार्डकॉपी को अपने पास सुरक्षित रखें तथा विश्वविद्यालय द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करें।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के नियम

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थी को ऑनलाईन आवेदन वेबसाइट www.univraj.org पर **Revaluation Portal** तथा www.erp.univraj.org पर करना होगा।
2. उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ शुल्क 90/- रुपये प्रति उत्तरपुस्तिका ऑनलाईन जमा कराना होगा।
3. परीक्षार्थी स्वयं की उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकते हैं, जो कि स्वयं की ई-मेल पर ही भेजी जावेगी। अतः परीक्षार्थी अपना ई-मेल पता उचित प्रकार से व सही अंकित करें।
4. उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थी संबंधित परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिवस के समयावधि में ऑनलाईन आवेदन कर सकता हैं। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। साथ ही पुनर्मूल्यांकन कराने वाले परीक्षार्थियों को उत्तरपुस्तिका की प्रमाणित प्रति पुनर्मूल्यांकन परिणाम घोषित होने के पश्चात् ही प्रदान की जायेगी।
5. परीक्षक द्वारा मूल्यांकित की गई उत्तरपुस्तिका के सम्बन्ध में परीक्षार्थी की किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपूर्ण/अस्पष्ट व गलत जानकारी देने पर उसका आवेदन पत्र स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं परीक्षार्थी की होगी। गलत जानकारी देने की स्थिति में परीक्षार्थी पर विधिक कार्यवाही भी की जा सकती हैं।

- 54 -
परीक्षा नियंत्रक



राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
फोन नं. 0141-2708824, 2256670

क्रमांक:- परीक्षा- III-A/R.E/2025/ 196-204

दिनांक 8.7.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैं।

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय, जयपुर।
2. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि बैंक गेटवे द्वारा जमा किये गये परीक्षा शुल्क राशि विश्वविद्यालय के मुख्य बैंक खाता में करवा दी गई हैं एवं जमा विवरण प्राप्त कर Reconciliation करवाना सुनिश्चित करें।
3. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर प्रसारित करने का श्रम करें।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, रा.वि.वि. जयपुर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र (दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका) में सूचना के रूप में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
5. समस्त उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. संबंधित कम्प्यूटर फर्म।
7. रक्षित पत्रावली।


अनुभागाधिकारी
(पुनर्मूल्यांकन)